न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 163/2018/223 आर टी ए

1. भालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. भादर पुत्र भोलू जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. छबीलदास पुत्र बगडावत जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. श्योदान पुत्र बगडावत जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुभाष पुत्र अमरसिंह जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. श्योपारी बेवा राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. भूपसिंह पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. रामसिंह पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. शिवकरण पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. हनुमान पुत्र किशना जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. नत्थुराम पुत्र भोलू जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. पृथ्वी पुत्र भोलू जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (फौत)

11/1 विद्या पत्नि पृथ्वी जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

11/2 राजेश कुमार पुत्र पृथ्वी जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

11/3 मायादेवी पुत्री पृथ्वी जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

12. सुग्रीव पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
13. कुलदीप पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. आत्माराम पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते Web copy - Not Official

15. रामचन्द्र पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
16. प्रेमकुमार पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
17. सुरेश कुमार पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. सीताराम पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी चक 5 जेएसएल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0 सं. 85/2010 अनवानी भादर बनाम छबीलदास आदि

उपस्थित :—

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

श्री सुनील बुक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 11/1, 11/3, 12

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 19

निर्णय दिनांकः—26.07.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर संयुक्त खाते मे दर्ज भूमि बाबत खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया जिस पर विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख मे दर्ज अनुसार भूमि विभाजन मे दिये जाने हेतु ही दिनांक 08.04.14 को आदेश दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जो गलत रूप से आने पर विधि विरूद्ध डिक्री पारित की जबकि कुल 6.756 है0, के 1/5 हिस्सा के अनुसार 1.351 है0 भूमि पांचो खातेदार को दी जाकर डिक्री पारित की जानी थी परन्तु विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानो के विपरीत किशना के वारिसान रेस्पो0 सं. 4 ता 8 को एवं शेष को भी 1/5 हिस्सा अनुसार भूमि नही देकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता दावा मे बतौर प्रतिवादी सं. 10 पक्षकार थे जिनका देहान्त 06.03.17 को हो चुका है अपीलांट व रेस्पो0 सं. 11/1 से 11/3 स्व. पृथ्वीराज के विधिक प्रतिनिधि है। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार बगडावत के वारिसान प्रतिवादी सं. 1, 2/रेस्पो0 सं. 2 व 3 का 1/5 हिस्सा अमरसिंह के पुत्र सुभाष प्रतिवादी सं. 3/रेस्पो0 सं. 4 का 1/5 हिस्सा किशना के वारिसान प्रतिवादी सं. 4 ता 8/रेस्पो0 सं. 5 ता 9 का 1/5 हिस्सा व भोलू के वारिसान अपीलांट/वादी भादर एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 12/रेस्पो0 सं. 10 ता 13 का 1/5 हिस्सा व पतराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 13 ता 17/रेस्पो0 सं. 14 ता 18 का

1/5 हिस्सा कुल 6.7560 है0 भूमि मे था जिसके अनुसार प्रत्येक का 1.3512 है0 हिस्सा मे आती थी परन्तु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट एवं उनके भाई के हिस्सा मे 0.0482 है0 कम भूमि दे दी गई एवं किशना के वारिसान हनुमान आदि को अधिक भूमि दे दी गई। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.04.2014 को अभिलेख मे दर्ज हिस्सा अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई थी जो अन्तिम डिक्री उसी अनुरूप पारित की जानी चाहिये थी परन्तु विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री पारित किये जाने का उल्लेख किया है परन्तु विभाजन प्रस्ताव हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को नही दिया एवं बिना मौका पर जाऐ ही विधि प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत हुए। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.07.15 को मंगवाया गया एवं उसी रोज बिना आपत्ति आमत्रित किये एवं स्टेट की कोई सहमति लिये बिना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत बने नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही अच्छी मंदी का ध्यान रखे बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने मे विचारण न्यायालय ने भूल की है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व नोटिस/सूचना दी जाकर सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलांटस या उनके पिता नही था। दिनांक 06.03.17 को अपीलांट के पिता के फौत होने पर दिनांक 16.04.18 को प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी एवं अपीलाधीन निर्णय का अमल दरामद अभिलेख मे हल्का पटवारी द्वारा करने पर भूमि विभाजन मे अपीलांट के पिता को कम मिलने का जिक्र किया तब दिनांक 16.04.18 को नकल जमाबंदी प्राप्त की तब भूमि कम मिलने की ज्ञान हुआ है। इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 1995(2) पेज 626 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अभिलेख मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 11/1 से 11/3 के पिता के नाम पूर्व मे दर्ज 1/5 हिस्सा का विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय प्रसारित करने हेतु पत्रावली विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर संयुक्त खाते मे दर्ज भूमि बाबत खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया जिस पर विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख मे दर्ज अनुसार भूमि विभाजन मे

दिये जाने हेतु ही दिनांक 08.04.14 को आदेश दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार पक्षकारान द्वारा को आपत्ति जाहिर नही की गई तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति या एतराज नही होने के कारण दावा अन्तिम डिक्री किया गया है जो सही है। अपीलांटस के पिता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नही की गई थी। क्योंकि वादग्रस्त भूमि का अर्सा दराज पूर्व ही तकाशमा कर लिया गया था तथा इसी अनुसार काश्तकारान काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विभाजन प्रस्ताव मौका कब्जा काश्त के अनुसार रास्ता व खाला को ध्यान मे रखते हुए भिजवाया गया था जो सही है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है अपील किसी भी प्रकार से अन्दर मियाद नही है। इसलिए अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांटस या उनके पिता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व विधिवत सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया है तथा अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा बिना विधिवत तामील करवाये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी चक 5 जेएसएल मे अपीलांट के पिता एवं पिता के भाईयो के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा दर्ज है तथा कुल भूमि 6.756 है0 है जिसमे 1/5 हिस्सा के अनुसार 1.3512 है0 हिस्सा नत्थुराम, पृथ्वीराज, भादर, ओमप्रकाश पि. भोलू का बनता है परन्तु अपीलाधीन निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मे 1.303 है0 भूमि ही दी गई है जो 0.0482 है0 भूमि कम दी गई। अपीलांट का तर्क है कि विभाजन प्रस्ताव अपीलांट व उनके पिता को बिना सूचना/नोटिस दिये तथा बिना सुने बिना मौका देखे तैयार किया गया है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। इस प्रकार अपीलांटस को सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 30.07.2015 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए रिकार्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.08.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official